न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4391

1. सुनील तिवारी पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी, आयु 45 वर्ष
2. सुशील तिवारी पुत्र स्व श्री रामस्वरूप तिवारी, 40 वर्ष

तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. .... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा प्राचार्य पॉलीटैक्निक कॉलेज नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.।
2. श्रीमती रमा बेवा पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी निवासी
   गिरधर लाल मंदिर के पासा नौगांव जिला छतरपुर।
3. श्रीमती सपना पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी पत्नि श्री जीतेन्द्र कुमार पाण्डे,
   निवासी– गणेश चौराहा नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, म.प्र.।
4. श्रीमती पूर्णिमा पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी पत्नि विनोद तिवारी।
   निवासी– सटई रोड छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर, म.प्र.।
5. श्रीमती प्रीति पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी पत्नि श्री उपेन्द्र दुबे
   निवासी परवारी मोहल्ला छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर, म.प्र.।
6. श्रीमती नीति पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी पत्नि श्री अनुज तिवारी
   निवासी जटाशंकर होटल के पास, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर, म.प्र.।
7. कु. नेहा पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप तिवारी
   निवासीगण वार्ड नं. 12 बस स्टैण्ड के पीछे नौगांव
   तहसील नौगांव जिला छतरपुर, म.प्र.................................गैर निगरानी कर्तागण

<u>निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. विरूद्ध आदेश जो न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर म.प्र. ने प्रकरण क्रमांक 28/स्वा.प्रे.निग./ अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 में पारित किया।</u>

महोदय,

निगरानीकर्ता गण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैः–

1. यहकि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 1/130, 1/131 कुल किता 2 रकबा क्रमशः 0.008 हैक्टेयर व 1.582 हैक्टेयर एकत्र रकबा 1.590 हैकटेयर यानी 3.93 एकड़ स्थित मोजा नौगांव तहसील नौगांव जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4391

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.3.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 28/स्व.प्रेरणा निगरानी/अ-6-अ/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुन: दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 06.03.2018 को आवेदक के निवेदन पर उन्हें 10 दिवस का समय लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था, परंतु उनके द्वारा दिनांक 16.03.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर अभिलेख बुलाए जाने एवं अनावेदक क्र. 2 लगायत 7 को सुनकर अंतिम आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उनके आवेदन से स्पष्ट होता है कि वे प्रकरण को येन केन लंबित रखना चाहते हैं। अत: उनका आवेदन अमान्य किया जाता है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण पूर्व में राजस्व मंडल तक आया है, राजस्व मंडल में चले प्रकरणों का उल्लेख कलेक्टर ने अपने आदेश में किया है तथा आवेदक की ओर से उठाये गये तर्कों की विस्तार से विवेचना करते हुए 6 वाद बिंदु बनाए जाकर आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमियां पर बिट्रिश पीरियड से ही भवन एवं कुंआ निर्मित होने से उनका बंटन आवेदक के पक्ष में विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन भूमियों का	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवंटन पॉलीटेक्निक नौगांव के पक्ष में किया गया है विवादित भूमियां तत्समय अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज होने से तत्कालीन कलेक्टर ने आदेश दिनांक 9-9-69 से प्रिंसीपल गर्वनमेंट पॉलीटेक्निक नौगांव को हस्तांतरित की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर द्वारा राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्र0क्र0 34-दो/1971 में पारित आदेश दिनांक 12-7-1972 के अंतिम पैरा में यह किए इस उल्लेख के आधार पर कि आवेदक के यह बताने पर कि उसे अब स्थिति का ज्ञान हो गया है और उसने यह लिख कर दिया है कि वह इन भूमियों का कब्जा छोड़ता है, के प्रकाश में आवेदक के इस तर्क को कि वह पूर्व पट्टे के आधार पर इन भूमियों पर काबिज है और उसे भूमिस्वामी के हक प्राप्त हो गये हैं, उचित न मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	